न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 68 / 2022(GCMS 2022/361)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **गुरदास सिंह** पुत्र बलदेव सिंह
2. **सन्तोष सिंह** पुत्र बलदेव सिंह
   समस्त जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम 1 डी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **सक्षम प्रधाकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील श्रीगंगानगर** जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 1 डी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 31 के बीघा नं. 1, 2 व 3 में से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निहित हो गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अवस्थित सरंचनाओं / परिसम्पत्तियों, पेड़, पौधे आदि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, अर्थात धारा 3ए की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिसूचना जारी होने के पश्चात नियम विरुद्ध जाकर अनैतिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना / परिसंपत्ति यथा पेड़ पौधों आदि स्थापित किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MoRTH भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड, सरंचना / परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया जायेगा तथा धारा 3ए की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता। इसलिये अप्रार्थीगण धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित नये पेड़—पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 31.03.2021 को पारित कर दिया गया, इसलिये अ[illegible]सि के मुआवजे के अनुसार ही पेड़—पौधो के मुआवजे का निर्धारण भी धारा [illegible] की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार मौजूद पेड़—पौधों की आयु, प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता, स्थिति आदि मानकों से संबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में रखते हुए किया जाना न्यायोचित व विधि अनुसार था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त के संबंध में कुछ भी नही किया गया, इसलिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़—पौधों का पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 विधि अनुसार नही होने से अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में किन्नू के पेड़—पौधों के संबंध में पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 इसलिये भी संशोधित किये जाने योग्य है कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्तधीन भूमि पर बाहर से लाकर नये पेड़—पौधें रोपित कर दिये गये। सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अप्रार्थी खातेदार की अवाप्त भूमि पर लगे हुए पेड–पौधों के अलावा भी ऐसे पेड़—पौधों को मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो धारा 3ए अधिसूचना के पश्चात् लगाये गये थे तथा अवाप्ति क्षेत्र से बाहर स्थित थे, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़—पौधों की संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र आदि के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार अवाप्त भूमि के क्षेत्र में उचित दूरी छोड़ने के पश्चात किन्नू के 168 पौधे रोपित नही हो सकते है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने धारा 3ए की अधिसूचना के समय की मौकास्थिति अनुसार बिना जाँच किये ही गम्भीर त्रुटि कर आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि संशोधित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.201[illegible] के अनुसा[illegible] रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 09.[illegible] अनुसार पौधों की गणना व आयु निर्धारित की है, जिनमें से किन्नू के 120 पौधों की आयु 4 वर्ष व 38

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पौधों की आयु 3 वर्ष मानी जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार किन्नू के 126 पौधों की आयु लगभग 5 से 6 माह व 38 पौधे मौके पर नहीं होना साबित होते है। ऐसी दशा में अप्रार्थी खातेदार के 126 पौधों की आयु 5 से 6 माह होने के कारण आधार मूल्य के अन्तर्गत ही आते है, जिनका भी अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी खातेदार द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 45 मीटर के संरेखण (Alignment) में धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अनुचित एवं अवैध तरीके से, अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में नये बड़े पौधे / वृक्ष पास—पास में रोपित किये गये है, जिनकी पुष्टि श्रीमान् मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़—पौधों की आयु व संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र, सिंचाई विभाग आदि से प्रश्नगत पौधों के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है, इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पौधों का कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जाँच किये धारा 3ए अधिसूचना के समय की मौकास्थिति के विरूद्ध तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 126 पौधों की सम्पूर्ण आयु के हिसाब से एवं 38 का आधार मूल्य के हिसाब से नियम विरूद्ध मुआवजा राशि की गणना कर दिनांक 22.04.2022 को आलोच्य अवार्ड पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसे सुधारा जाकर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी खातेदार प्रश्नगत पेड़—पौधों को जवाब में अनुदानित होना बताया है, लेकिन [illegible] में कोई समुचित साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया [illegible] कराया है, ऐसी दशा में आधारहीन निरर्थक कथनों का जवाबदाता को [illegible]ई लाभ प्राप्त नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फिर भी श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा प्रश्नगत पेड़–पौधे अनुदानित होने या नहीं होने के संबंध में संबंधित विभाग से अनुदानित पत्रावली तलब करते है, तो यह जांच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि अप्रार्थी खातेदार को कौनसे मुरब्बा /किला के कितने रकबे की भूमि हेतु अनुदान कब मिला था व अनुमोदन मिलने के उपरान्त प्रश्नगत पेड़–पौधें अवाप्तधीन भूमि पर कब रोपित किये गये थे, और क्या उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार उचित विन्यास पर प्रश्नगत पेड़–पौधे रोपित किये हुए है आदि–आदि की जाँच गूगल इमेज, खसरा गिरदावरी, पटवारी द्वारा पौधों की आयु व संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि से करने पर जाहिर हो जायेगा कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अवाप्त भूमि पर प्रश्नगत पौधे रोपित किये है, जो भूमि अवाप्ति प्रक्रिया व उद्यान विभाग के मापदण्ड़ो के सरासर विरुद्ध भी है, जिनका अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने वर्ष 2022 में किन्नू के पौधों की कुल आयु 20 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, सहायक निदेशक, उद्यान– श्रीगंगानगर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजामार्ग प्राधिकरण की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधे की मूल्यांकित राशि 14220/– निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी,सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने प्रश्नगत किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले व सूरतगढ़ की [illegible] स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान [illegible] की मुआवजा राशि को घटाते हुए आलोच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 1 डी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1, 2, 3 की भूमि अवाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट धारा 13ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को प्रकाशित करवाया गया था। बागवानी के सम्बन्ध में 2021 में सहायक निदेशक उद्यान विभाग को नियुक्त करके मौका देखा गया। सहायक निदेशक उद्यान विभाग की टीम के साथ जयपुर की टीम साथ में जाकर पौधों का मूल्यांकन किया गया और उसके धारा 3डी के तहत उसको अन्तिम रूप मानकर सैन्टर गवर्मेन्ट को प्रेषित की गयी, सेंटर गवर्मेंट ने उसका फाईनल 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भूमि तब तक भारत सरकार में निहित नहीं होती जब तक पोजेशन लेने से पहले राशि खातेदार के नाम से जमा न करवा दी जावे। हस्तगत प्रकरण में आज तक राशि जमा नहीं करवायी, इसलिए विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत सरकार में भूमि निहित नहीं मानी जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि पेड पोधे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 2016—17 में लगाये हुए हैं उसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया। यह बात सही है कि धारा 3 बी के अनुसार उत्पन्न व भूबद्ध चीजें व स्थाई रूप से जकड़ी हुई चीजे भूमि की परिभाषा में आती है। लिखित बहस में बढ़ाचढ़ाकर तथ्य दर्ज किये गये हैं जो काबिले खारिजी है। अधिनियम 1956 की धारा 4 के उपनियम 7 (ग) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा 5 के अधीन रकम का अवधारण करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा (ग) भूमि का कब्जा लेते समय हितबद्ध व्यक्ति को उसकी अन्य स्थावर सम्पत्ति (फल वृक्ष भी अन्य स्थावर सम्पत्ति में आ[illegible] या उसमें उपर्जनों पर हानिकारक रूप से प्रभाव डालने वाले [illegible]न, यदि काई है, अतः मुआवजा कब्जा लेते समय की स्थिति [illegible]ोना चाहिये न कि 3(ए) के अनुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य याचिकाकर्ता का था। याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जहां तक भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) का हवाला दिया है यह प्रावधान इस पर लागू नहीं हैं। इसमें केवल एन एच की धारा 3ए ही लागू की गयी है, उसके अनुसार ही खातेदार मुआवजा पाने के अधिकारी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग द्वारा जो रिपोर्ट 2021 में दी है उस समय 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेड पोधों की आयु को ध्यान में रखते हुए मुआवजा का निर्धारण किया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही मुआवजा तय किया गया है। दिनांक 22.04.2022 का अवार्ड विधिसम्मत पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तीन तीन गठित कमेटी सहायक निदेशक उधान गंगानगर व जयपुर विभाग द्वारा व संयुक्त निदेशक विभाग गंगानगर द्वारा मौका देखकर रिपोर्ट की गयी है। बहस में मिथ्या कथन दर्ज किये हैं, जो काबिल निरस्ती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवार्ड दिनांक 22.04.2022 विधिसम्मत पारित किया गया है। कोई भी नये पौधे नहीं लगाये गये है। धारा 3ए की अधिसूचना से पहले 2016–17 से पौधे लगे हुए है। जो 18.06.2021 में रिपोर्ट की गयी है। अप्रार्थी का बाग प्लग से सिंचित है जिसमें पौधे 6 गुणा 3 और 6 गुणा 4 के हिसाब से लगे हुए हैं। गिरदावरी की नकल शामिल है। तीन तीन कमेटियों द्वारा मौका पर जांच की गयी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उसके बाग में किन्नू में 168 पौधों की आयु 4 वर्ष मानकर रिपोर्ट तैयार की गयी जबकि यह सरासर गलत है। अप्रार्थी के पौधे वर्ष 2016–17 से ही लगे हुए है। किन्नू का बाग एडमिट है। जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है जब इसमें बहस हो चुकी है प्रार्थी अपना बर्डन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अदालतवाला या अप्रार्थी पर नहीं डाल सकता। यह प्रार्थी का कर्तव्य था कि यह साबित करे कि मौके पर बाग नहीं है यह साक्ष्य प्रार्थी ने देना था, जो बहस पर दिया नहीं अब देने की स्टेज में नहीं है। इसलिए प्रार्थी की जो बहस है वह काबिले गौर नहीं है। अप्रार्थी के 168 पौधे हैं वे 2016–17 में लगाये थे और 2019 में फल देने लग गये, उसके बाद किन्नू की उम्र 30 वर्ष है तो 30 वर्ष तक उसके फल से अप्रार्थी वंचित हुआ है। विभाग द्वारा तो अप्रार्थी को 25 वर्षो का ही क्लेम दिया है जबकि उसे 30 वर्षो का क्लेम दिया जाना चाहिये।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके किन्नू के पौधे हैं जिसके सर्वे हेतु सम्बन्धित भूआवाप्ति अधिकारी द्वारा अप्रैल 2021 में सहायक निदेशक उधान को आदेशित किया गया था जिसके तहत 2021 में सहायक निदेशक उधान विभाग द्वारा सर्वे कर रिपोर्ट पेश की गयी है। जिसमें एक ही जगह किन्नू का बाग लगा हुआ है जिसमें अब प्रार्थी कहता है कि अब 02.04.2018 में पांच वर्ष है जबकि यह रिपोर्ट 02.04.2018 को ध्यान में रखते हुए 2021 में पेश की है। केवल यह कहना कि उसकी उम्र 2018 में 4 वर्ष थी, इसलिए उसका आधार माना जावे, यह कतई सभव नहीं है। पांच वर्ष खुद मानता है तीन वर्ष के बाद फल देने लगते हैं। इससे साबित होता है कि पौधा फल देने लायक है। जब फल देने लायक है तो तीस वर्ष तक फल देता है और तीस वर्ष का ही अप्रार्थी क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पैटीशन काबिले खारिजी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीगंगानगर जिले में भारीतय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कृषकों के खेतों में वृक्षों का भी मुआवजा 3(ए) के अनुसार दिया गया है। उसके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पौधे लगाये हैं। अप्रार्थी के खिलाफ आधार केवल यह है कि अप्रार्थी के पौधे पांच वर्ष के है। जबकि प्रार्थी के पौधे पांच वर्ष के फल दे रहे थे। उसके प[illegible] को [illegible]आवार मानते हुए क्लेम प्राप्त करने का अप्रार्थी अधिकारी है। इसलिए [illegible] तथ्य निराधार होने के कारण काबिले खारिजी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ में डैजर्ट एरिया है और वहां गंगानगर की अपेक्षा गर्मी ज्यादा पड़ती है। गंगानगर के किन्नू लायलपुरिया के नेपाल तक मशहूर हैं और जयपुर तक भी किन्नू जाते है। गंगानगर के किन्नू की वैरायटी अलग है उसे हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ से नहीं मापा जा सकता। सहायक निदेशक उधान द्वारा पौधों की उम्र किन्नू वैज्ञानिक डॉ. एम.के. कॉल तथा किन्नू का भाव कृषि उपज मण्डी समिति से नियमानुसार लिया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर राशि जमा नहीं करने के लिए यह सारी कार्यवाही लम्बी की जा रही है और बिना अधिकार है जो काबिले खारिजी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो दिनांक 22.04.2022 को अवार्ड जारी किया गया है वह विधि अनुसार जारी किया गया है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी गुरदास सिंह वगै. की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी गुरदास सिंह, संतोष सिंह की भूमि ग्राम 1 डी छोटी के किला नम्बर 31/1, 2, 3 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से Value of Structure (Horticulture) राशि 79,66,800/– रूपये एवं तोषण (Solatium)राशि 79,66,800/– रूपये कुल 1,59,33,600/–की मुआवजा राशि निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड [illegible] 22.04.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की है और [illegible] 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो Value of Structure-Horticultue राशि 79,66,800/— तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

मैनें, प्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

3A. Power to acquire land, etc.--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

(7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;

(c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.042018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा **3.5.5(i)** & पेज नं. 120 का पैरा **3.5.6(ii)** भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :**
>
> (i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

under Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation, As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton. Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CAO while determining the compensation amount.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त वर्णित **राजष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि/बाग आदि का अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।**

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी गुरदास सिंह वगै. की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही मुआवजा राशि तय की जानी थी। **उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।** अप्रार्थी गुरदास सिंह वगै. की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 09.11.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो दिनांक 11.02.2022 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की है। उक्त मौका निरीक्षण दिनांक 09.11.2021 को अवाप्त की गई भूमि पर 126 457 पौधे 4 वर्ष के, 38 पौधे 3 वर्ष एवं 2 पौधे मृत बताये गये। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, प्रोजेक्ट इंचार्ज, सहायक निदेशक उद्यान एवं सहायक कृषि अधिकारी (उद्यान) के हस्ताक्षर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई **भूमि पर गूगल ईमेज के आधार पर कोई बाग के रूप में कोई पौधे अस्तित्व में नहीं थे इसलिए अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर मुआवजा देय नहीं बनता है।**

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 09.11.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 126 पौधे 4 वर्ष के, 38 पौधे 3 वर्ष के एवं 4 पौधे मृत बताये गये है। इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 09.11.2021 में अंकित 126 पौधे 4 वर्ष के, 38 पौधे 3 वर्ष के एवं 4 पौधे मृत बताये गए है उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 09.11.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 09.11.2021 को 126 पौधे 4 वर्ष के, 38 पौधे 3 वर्ष के एवं 4 पौधे मृत बताये गये है। उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि दिनांक 09.11.2021 को 126 पौधे 4 वर्ष के, 38 पौधे 3 वर्ष के एवं 4 पौधे मृत बताये गये है। इस प्रकार धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को उक्त 126 पौधे की आयु केवल 05 माह की बनती है और शेष 38 पौधे अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 अस्तित्व में होने नहीं पाए जाते है। **इस प्रकार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर दिनांक 09.11.2021 की स्थिति के अनुसार जो मुआवजा राशि 1,59,33,600/— (Value of Structue-Horticultue + Solatium Value) सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा तय की गई है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है।**

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 126 पौधों की आयु 05 माह बनती है, **जो एक वर्ष से कम अवधि के है। तीन वर्ष की अवधि के पौधों के** लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर के पत्रांक 4162—4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार मुआवजा राशि (3 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Khatri
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की उम्र तक) — पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है जो एक वर्ष के किन्नू के पौधे का आधार मूल्य 372 / — रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि 1116 / — रूपये बनता है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 126 पौधों की मुआवजा राशि 1,40,616 / — रूपये बनती है। इस प्रकार सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 79,66,800 / — बनाई गई है एवं मुआवजा राशि के समतुल्य ही अतिरिक्त तोषण(Solatium) राशि 79,66,800 / — रूपये दिये जाने का प्रावधान है इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुल 1,59,33,600 / — रूपये बनाई गई है जबकि उद्यान विभाग के प्रतिवेदन में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 1,40,616 / — रूपये बनती है और इतनी ही तोषण (Solatium) राशि 1,40,616 / — रूपये कुल राशि 2,81,232 / — बनती है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर बाग पर बाग अस्तित्व मे नहीं होने के कारण कोई मुआवज राशि नहीं बनती है। इस प्रकार मुआवजा राशि में 1,56,52,368 / — अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।

जहां तक प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2021 के अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा जो गिरदावरी सम्वत् 2075—76 की पेश की गई है, जिसमें मुरब्बा नम्बर 31 के किला नं. 1 से 03 में बाग दर्शाया गया है जो वर्ष 2018—19 की है, सम्वत् 2075, दिनांक 18 मार्च 2018 से शुरू होता है और दिनांक 06 अप्रैल 2019 को खत्म होता है जबकि प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् [illegible] —76 दिनांक 16.09.2018 से 15.09.2018 की स्थिति को [illegible] अधिनियम 1957 के रूल्स 58 के अनुसार गिरदा[illegible] दौरे का आरम्भ और उसकी समाप्ति की दिनांक निम्न होगी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नाम (फसल)	दिनांक प्रारम्भ होने की	दिनांक पूरा होने की
खरीफ (सियालू)	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
रबी (उल्हालू)	1 फरवरी	5 मार्च
जायद (विशेष उन्हालू)	1 मई	15 मठ

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2075—76 की है, जिसकी स्थिति अनुसार 16 सितम्बर 2018 को बाग है किन्तु इस गिरदावरी के अनुसार धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को बाग होना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए गिरदावरी के अनुसार भी अप्रार्थी का कोई मुआवजा भी देय नहीं बनता हैं। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना 6.10(6)राजस्व—6/98/3 दिनाक 02.8.2000 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र—1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष .....

गांव का नाम ..... गिरदावर वृत .....

तहसील ..... जिला.....

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'–1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल ..... भू.अ.नि.वृत ..... तहसील .....

जिला ..... वर्ष .....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील .....

जिला श्रीगंगानगर संवत ..... वर्ष 2022–23 (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमें फलदार वृक्ष है	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बडों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ–1 एवं 2 मुरब्बा नं. 31 के किला नं 1 ता 05 में स्थिति क्या है?, अंकित सम्बन्धित गिरदावरीयां प्रस्तुत नहीं की गई जबकि उक्त गिरदावरी सम्वत् 2075–76 जो दिनांक 15.09.2018 की स्थिति की है। जिससे धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त गिरदावरी सम्वत् 2075–76 जो कि वर्ष 2018–19 की है, के आधार पर, किसी प्रकार से बाग के रूप में कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नही ठहरता है क्योंकि उक्त गिरदावरी में अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति नहीं है और अप्रार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है।

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 20.06.2021 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, की आयु 4 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को बाग में रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 09.11.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा Value of Structrue-Horticulture राशि 79,66,800/– एवं Value of Structrue-Horticulture के समतुल्य तोषण राशि 79,66,800/– कुल 1,59,33,600/–रूपये का अवार्ड के रूप में तय की गई है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के आधार पर नहीं है। इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से तय मुआवाज राशि, अप्रार्थी गुरदास सिंह की हद तक खारिज किया जाता है। सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग था अथवा नहीं?, की जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को बाग अस्तित्व में था, तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 को ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई कर, 02 माह में अवार्ड जारी करें। इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested